

अंचल अधिकारी निवास का कार्यालय

9779661617

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि रुधार अधिनीता 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापनक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016
सहपठित-^{प्रभा} अनुज मुखर्जी, प्रदेशक, भू-प्रभा-सह-विशेष निवास राजरथ परिवार
सुधार दिनांक का पत्र संख्या-०-खामोनीति-१३/८५/२३०८/२१०, दिनांक-०३.०९.१९८५
एवं सह-पठित राजरथ विभागीय, परिवत्र संख्या-९१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित
निदेश के अनुपालन में गैरगजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच
प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजरथ कर्मचारी एवं अनिन्द्रा प्रतिवेदित किया
गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

गौजा-~~सिलेक्ट~~ थाना-~~सिलेक्ट~~, खाता संख्या-238, प्लॉट संख्या-
पृष्ठ ५६। रकमा ०.१०९० प्लॉट की भूमि जो गैरगजरुआ खास उनावाद विभाग
झारखण्ड) सरकार के खाते की राक्षारी भूमि है, जिसका जमावंदी उरा गौजा के पंजी
के जिल्द संख्या-३१, पर जमावंदी रेयत ५५० कर्कट
के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की
भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा सार्वित जांच प्रतिवेदन गो घटीत
होता है कि उपर्युक्त जमावंदी विना राइट प्राधिकार के आरेस के/ अवैध राइट रत्ती के
आधार पर/ अवैध कोट्वर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार
पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं
राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की
सृजित जमावंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम
1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना चाहिए प्रतीत होता है।

अतः एवं संबंधित जमावंदी रेयत को निर्गत द्वारा उपर्युक्त भू-संख्या से
संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद को मांग करें तथा उनको कारण-पृष्ठ दर्शें,
कि व्यों नहीं उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार
अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्त प्राधिकार को रद करने हेतु अनुशासित किया
जाय।

अभिलेख दिनांक-..... को उपरक्षित करें।

प्राप्त एवं संशोधन

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी
निरसा, धनबाद

अभिलेख उपस्थापित।

उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या—1704/रा०, दिनांक—15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक—८.१२.२० को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

८.१२.२०

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुक्मनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म M, लगान—रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित किया गया है/नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर संबंधित भूमि का हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक—लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक—२४.१२.२० को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

२४.१२.२०

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक—1704/रा०, दिनांक—15.07.2020 एवं विभागीय संकल्प सं०—6144/रा०, दिनांक—21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द

करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-~~लूमूल~~,
मौजा नं०-२५४, खाता नं०-२३८, प्लॉट नं०-५५९_(५६), रकवा-१०.८२३

गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है। उपरोक्त भूमि शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस-पास 150 मीटर के अन्तर्गत आता है तथा राजपथ/उच्चपथ/मुख्यार्ग के 150-150 मीटर के अन्तर्गत पड़ता है। फलतः उक्त भूमि का जमाबंदी नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा कायम जमाबंदी संख्या-३७। के नाम से पंजी-II में अवैध जमाबंदीदार रैयत.....कुदाल के१२- को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-३७। को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।


अंचल अधिकारी,
मुख्यमंत्री।